तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 29/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
17.10.2022	पत्रावली पेश हुई। श्री रमेशचन्द्र सैनी, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी सवाई सिंह पुत्र किशोर सिंह राजपुरोहित, जाति– राजपुरोहित, निवासी– ओसिया, बासनी, तहसील– ओसिया, जिला– जोधपुर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म राधेश्याम जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, रेवदर, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री रमेशचन्द्र सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 31.10.2021 को फर्म राधेश्याम जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, रेवदर, जिला– सिरोही में प्रतिवादी सवाई सिंह से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड बर्फी का नमूना संख्या S-1536 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./845/Act/2021/905 दिनांक 07.12.2021 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 11.10.2022 को प्रतिवादी सवाईसिंह ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। प्रकरण में प्रतिवादी सवाईसिंह द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण में कोई साक्ष्य ली जाना उचित नही होने से प्रतिवादी को दिनांक 11.10.2022 ही सुना गया। प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि यह उसका प्रथम अपराध है एवं भविष्य में अमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय नही करेगा। प्रतिवादी छोटा व्यापारी है जो अपनी दुकान में मिठाई आदि बनाकर बेचता है। प्रतिवादी अब मानक स्तर की खाद्य सामग्री ही विक्रय करेगा। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) दिनांक 31.10.2021 को दौराने गश्त समय 6.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म राधेश्याम जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, रेवदर, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से प्रतिवादी सवाई सिंह पुत्र किशोर सिंह राजपुरोहित, जाति– राजपुरोहित, निवासी– ओसिया, बासनी, तहसील– ओसिया, जिला– जोधपुर उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड (बर्फी) लूज बेचते है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दुकान के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड बर्फी लूज के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:22:45 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-[illegible]

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 29/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के **समक्ष प्रपत्र 5ए में** विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता सवाई सिंह को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने दुकान के अन्दर स्टील की ट्रे में बिक्री हेतु मौजूद लूज प्रोपराईटरी फूड बर्फी लगभग 10 किलोग्राम को अच्छी तरह हिलामिलाकर एक रुप किया एवं इस एक रुप किये हुए लूज प्रोपराईटरी फूड बर्फी में से 2 किलोग्राम प्रोपराईटरी फूड बर्फी खरीदी एवं उसकी कीमत राशि रुपये 640/– रुपये (अक्षरे रुपये छः सौ चालीस मात्र) विक्रेता सवाई सिंह को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1536, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड बर्फी आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने खरीद शुदा खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड बर्फी को चारों अलग अलग साफ सूखी व खाली शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक नमूना शीशी में 40–40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर शीशीयों को ढक्कन से एयर टाईट बन्द किया। चारों नमूना शीशीयों पर एक–एक लेबल लगाया एवं चारों नमूना शीशीयों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1536 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफों में [illegible] बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चप[illegible] किया। [illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद [illegible] को नमूनें का एक भाग व [illegible] सील बन्द लिफाफा श्री .....लगातार	

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:22:45 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 29/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल मे जारी हुए

विश्वजीत, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 31.10.2021 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा फर्म राधेश्याम जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, रेवदर, जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता सवाई सिंह से प्रोपराईटरी फूड बर्फी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की विधिवत कार्यवाही करते हुए जांच हेतु नमूनें का एक भाग मय फार्म नम्बर 6 के सीलबन्द लिफाफे के खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाया गया है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्रोपराईटरी फूड बर्फी के नमूना संख्या S-1536 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./845/Act/2021/ 905 दिनांक 07.12.2021 के अनुसार प्रोपराइटरी फूड बर्फी नमूना संख्या S-1536 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सवाई सिंह पुत्र किशोर सिंह राजपुरोहित, जाति– राजपुरोहित, निवासी– ओसियां, बासनी, तहसील– ओसियां, जिला– जोधपुर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म राधेश्याम जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, रेवदर, जिला– सिरोही ने अमानक (Sub-standard) प्रोपराईटरी फूड बर्फी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमानक (Sub-standard) प्रोपराईटरी फूड बर्फी का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी सवाई सिंह पुत्र किशोर सिंह राजपुरोहित, जाति– राजपुरोहित, निवासी– ओसियां, बासनी, तहसील– ओसियां, जिला– जोधपुर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म राधेश्याम जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, रेवदर, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी सवाई सिंह पुत्र किशोर सिंह राजपुरोहित, जाति– राजपुरोहित, निवासी– ओसियां, बासनी, तहसील– ओसियां, जिला– जोधपुर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म राधेश्याम जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, रेवदर, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति[illegible] के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान [illegible] में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय [illegible], सिरोही के कार्यालय में 7 दिवस में जमा [illegible] सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि [illegible]डी. आयन्दा दिनांक 18.11.2022 को पेश हो।

(के.आर.खौड़)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:22:45 IST
Reason: SelfAttested